227
1-5-15

संख्या– 174 / XXIV–4 / 13–10(44) / 2012

प्रेषक,

आर0के0 तोमर,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांक 13 मई, 2013

विषयः– आर0टी0ई0–2009 के तहत हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट विद्यालयों में कक्षा–06 से 08 तक अध्यापक की नियुक्ति हेतु टी0ई0टी0–II की अर्हता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–06 / (04) / 1856 / 2012–13 दिनांक 16 अप्रैल, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 23–08–2010 यथासंशोधित सूचना संख्या–158 दिनांक 29–07–2011 द्वारा कक्षा–01 से 05 में टी0ई0टी0–I एवं कक्षा–06 से 08 तक टी0ई0टी0–II उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इस प्रकार ऐसे प्रशिक्षित अध्यापक जो कक्षा–09 एवं 10 के साथ कक्षा–06, 07 एवं 08 में अध्यापन करेंगे को भी टी0ई0टी0–II उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अतः आपके उपर्युक्त पत्र दिनांक 16–04–2013 द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में स0अ0 (एल0टी0) की नियुक्तियों के संबंध में उपलब्ध करायी गयी आख्या के संदर्भ में कृपया दिनांक 23–08–2010 को निर्धारित तिथि के अनुसार एवं दिनांक 10–05–2013 को आहूत बैठक में सचिव महोदया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार पूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0के0 तोमर)
उप सचिव।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)

गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE

National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)

By E-mail / Hand / Speed Post/Fax

पत्र क्रमांकः 48–11/2013/रा.अ.शि.प./मा. एवं मानदण्ड/ दिनांकः 10 अप्रैल, 2013

प्रति,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन,
देहरादून, उत्तराखण्ड

विषयः **निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम–2009 के तहत कक्षा–6 से 08 तक के विद्यालयों में अध्यापक के रूप नियुक्ति हेतु पात्रता के संबंध में।**

महोदय,

कृपया आप अपने पत्र क्रमांक 41875 दिनांक 19.03.2013 जोकि उपरोक्त विषय में है का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त प्रकरण के संदर्भ में उल्लिखित है कि निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 2 के खण्ड(n) में संदर्भित स्कूलों में कक्षा 1 से 8 के अध्यापकों की नियुक्ति की पात्रता हेतु न्यूनतम योग्यताएं रा.अ.शि.प. की अधिसूचना 25.08.2010 एवं इसके संशोधन 02.08.2011 में अभिलिखित है। उक्त अधिसूचना में कक्षा I से VIII के अध्यापक पद हेतु अध्यापक पात्रता परीक्षा अनिवार्य अर्हता है। इस अर्हता में छूट देने का अधिकार रा.अ.शि.प. के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

ऐसे प्रशिक्षित अध्यापक जो कक्षा 9 व 10 के साथ 6, 7 व 8 में भी अध्यापन करेगें को टी.ई.टी.–2 उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

2. अतः उत्तराखण्ड सरकार शिक्षकों की नियुक्ति उपरोक्त अधिसूचानाओं के अनुसार संपन्न कराये।

भवदीय,

12/4/13

(डॉ.एस.के.चौहान)
अवर सचिव

Wing – II, Hans Bhawan, 1, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Tel : 011-23370181, Fax : 23370128
E-mail : mail@ncte-india.org Website : http://www.ncte-india.org